न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वि राजस्व वाद सख्या 05/2010

1. श्री सुखदेव बालिग पुत्र स्व0 बज्जा जाति रावत आयु 75 साल निवासी गांव मजरा देवपुरा–खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 ।

.....वादी–प्रार्थी

बनाम

1. श्री सुनीलसिंह उर्फ सेठु बालिग पुत्र स्व0 माना जी
2. रामदेव उर्फ पूनासिंह बालिग पुत्र पन्ना जी
   समस्त जाति रावतान निवासीयान मजरा देवपुरा – खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
3. राजस्थान सरकार जरीये , भू–धारक तहसीलदार अजमेर (राज0)
4. राजस्थान सरकार जरीये , जिला कलेक्टर, अजमेर राज0 ।

.....प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जाब्ता दिवानी

1. श्री ज्ञानचंद गादिया
   वकील प्रार्थी उपस्थित
2. प्रतिवादी 1 व 2 एक तरफा

आदेश

दिनांक 14.09.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम देवपुरा – खरवा तह. मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख.नं. 4876 रक्बा 2–15–10 सर्व श्री गेना वल्द नाथा, प्रभुसिंह, मदनसिंह, पूनासिंह पिता पन्ना व माना वल्द काना की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी जो बाहमी बटवारे से माना वल्द काना के हिस्से आई हुई थी । माना ने इसे रू 7000/– में वादी/प्रार्थी को दिनांक 11.07.1988 को जरिये इकरार पत्र विक्रय बेचान कर कब्जा भूमि इकरार दिवस प्रार्थी को संभला दिया था । माना द्वारा इकरार की पालना नहीं करने पर प्रार्थी ने एक वाद सं 61/99 उनवानी सुखदेव बनाम माना व अन्य से न्यायालय सिविल जज क0 ख0 ब्यावर में पेश किया । जिसमें प्रतिवादी माना के मर जाने पर उसके वारिसान सुनील उर्फ सेठू व पूना सिंह उर्फ रामदेव व मु संतोषी बेवा माना व जयसिंह वल्द माना को रेकार्ड पर लिया गया । सुनील को सेठू व पूनासिंह को रामदेव नाम से भी पुकारा जाता है इनको दो–दो नाम से पुकरते है इन पर सम्मन तामीली पर बावजूद उपस्थित के कोई आपति नहीं की यह वाद दिनांक 15.12.2003 को वादी के पक्ष में डिक्री कर वादी के खर्चे पर प्रतिवादीगण को बेचान नामा रजिस्टर्ड कराने हेतु आदेश दिये गये । प्रतिवादी 1 व 2 द्वारा पालना करने पर प्रार्थी ने 4/2005 से इजराया लगाई जिस पर प्रतिवादी सं 1 व 2 सर्व श्री सेठू व रामदेव नाम से प्रार्थी के पक्ष में बेचानामा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

दिनांक 23.08.2006 को निष्पादित कर दिया है लेकिन इन दोनों को छोड शेष सभी के हिस्सों में प्रार्थी के नाम का अमल कर दिया है । मूल डिक्री में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम सुनील एवं पूनासिंह की अपेक्षा क्रमशः सेठू, माना व राम देव पुत्र पन्ना होने से प्रार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर इनके हिस्से का अमल नहीं किया गया है प्रार्थी विवादित भूमि में न्यायालय आदेश से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार है उसने एक वाद ठोस तथ्यों पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिसमें सफल होने की पूरी पूरी आशा है । अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम विवादित भूमि लगी होने से वे इसे दीगर व्यक्तियों को हस्तांतरित करने पर आमादा है यदि वे ऐसा करते है तो प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी । अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने, हस्तान्तरण आदि करने से निषेध कराया जावे ।

अप्रार्थीगण पर नोटिस जारी करने पर अदम तामील प्राप्त हुए अप्रार्थी सं0 2 रामदेव उर्फ पूनासिंह के फोत होने की सूचना नोटिस पर आई । प्रार्थी की ओर से उसके एल.आर बाबत कोई चाराजोई नहीं की गई । सीधे बहस की गई । बहस में प्रार्थना–पत्र के कथन ही कमोबेश दोहराये गये । पत्रावली का अवलोकन करने पर मैने पाया कि ग्राम देवपुरा की जमाबंदी सम्वत 2065–68 के खाता संख्या 184 के ख.नं. 4876 में सुनिल सिंह वल्द मानसिंह व पूनासिंह वल्द पन्ना दर्ज है जबकि वादी को डिक्री सेठू एवं रामदेव के नाम से सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई । इस वाद में वादी ने इसी नाम से पक्षकार बनाया है ऐसी स्थिति में डिक्री में शुद्धी का प्रकरण उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बनता है । सक्षम न्यायालय की डिक्री एवं राजस्व अभिलेख की भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता अतः सव्यय निरस्त किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 14.09.2016 को सरे इजलास खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 16:16:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: